Speed Post

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. PRM/1/2017/MINB1/SEOTH/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi-110003
Dated: 12 -12- 2017

To,

1. The Secretary,
   Ministry of Information & Broadcasting,
   Shastri Bhawan,
   New Delhi-110001

2. The CEO,
   Prasar Bharati,
   2nd floor, PTI, Building,
   Sansad Marg,
   New Delhi-110001

3. The Director General,
   All India Radio,
   Akashvani Bhavan,
   Parliament Street, New Delhi 110001

Sub: Representation dated 16.01.2017 of Shri P. R. Meena, Director (E) (under Suspension) O/o ADGE (R&D), Akashvani & Doordarshan I.P Estate, New Delhi regarding request to revoke illegal suspension and initiate atrocities proceeding.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Proceeding of the Sitting taken by Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, NCST on 30.11.2017 for information and urgent necessary action.

It is requested that action taken report in this regard may be submitted to this Commission within months' time.

Yours faithfully,

(R.K. Dubey)
Assistant Director

Copy for information and necessary action to:

1. Shri P. R. Meena,
   Director (E) (under Suspension) O/o ADGE (R&D),
   Akashvani & Doordarshan I.P Estate,
   New Delhi-110002

2. NIC, NCST uploaded on the web site.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- PRM/1/2017/MINB 1/SEOTH/RU-III)

श्री पी. आर. मीणा, निदेशक (ई), आकाशवाणी एवं दूरदर्शन का गैरकानूनी तरीके से निलंबन करने और अन्याय-उत्पीड़न के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 30.11.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि : 30.11.2017

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री पी. आर. मीणा, निदेशक (ई), आकाशवाणी एवं दूरदर्शन ने गैरकानूनी तरीके से उनका निलंबन करने और अन्याय-उत्पीड़न के मामले मे दिनांक 16.01.2017 को आयोग में अभ्यावेदन देकर न्याय दिलाने का निवेदन किया.
2. अभ्यावेदक के मामले में विचार करते हुये आयोग ने दिनांक 16.01.2017 को एक नोटिस भेजकर सचिव, सूचना प्रसारण मंत्रालय; महानिदेशक, आकाशवाणी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती से 15 दिन के अंदर जवाब मांगा.
3. आयोग के नोटिस के प्रत्युत्तर मे उप सचिव, सूचना प्रसारण मंत्रालय का दिनांक 25.01.2017 का पत्र प्राप्त हुआ जिसमे उन्होने संबन्धित अधिकारी को इसकी जांच के निर्देश दिये जाने के संबंध मे सूचना भेजी.
4. उप निदेशक, प्रसार भारती का दिनांक 03.03.2017 का पत्र आयोग को प्राप्त हुआ जिसमें अभ्यावेदक के आवेदन के प्रत्युत्तर मे बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई. इसमें यह भी उल्लिखित किया गया कि इस संबंध मे जांच की जा रही है.
5. आयोग ने अभ्यावेदक को उप निदेशक, प्रसार भारती के दिनांक 03.03.2017 को प्रेषित पत्र से दिनांक 29.03.2017 को अवगत कराया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

6. अभ्यावेदक श्री पी. आर. मीणा दिनांक 16.10.2017 को आयोग मे उपस्थित होकर प्रसार भारती के उत्तर से असंतुष्टि जाहिर करते हुए रिज्वाइंडर प्रस्तुत किया। आयोग ने इस पर दिनांक 25.10.2017 को एक नोटिस जारी कर सचिव, सूचना प्रसारण मंत्रालय; महानिदेशक, आकाशवाणी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती से जवाब मांगा.

7. इस संदर्भ मे जवाब अप्राप्त होने पर आयोग ने दिनांक 22.11.2017 को एक सीटिंग नोटिस जारी कर सचिव, सूचना प्रसारण मंत्रालय; महानिदेशक, आकाशवाणी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती को चर्चा के लिए आयोग में दिनांक 30.11.2017 को बुलाया.

8. आयोग में चर्चा के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी श्रीमती अंजू निगम, संयुक्त सचिव श्रीमती हरचरण कौर, उप सचिव तथा ऑल इंडिया रेडियो के अधिकारी श्री सत्यजीत मिश्रा, एडीजी (ए), श्री शैलेन्द्र कुमार, एडीजी उपस्थित हुए.

9. आयोग ने अभ्यावेदक श्री पी. आर. मीणा को मामले में अपना पक्ष रखने को कहा. श्री मीणा ने आयोग को अवगत कराया कि विभाग मे उन्हे गैरकानूनी तरीके से निलंबित किया गया है इसके लिए उनसे कभी पूछताछ नही की गई न ही उनसे कोई स्पष्टीकरण मांगा गया. उन्होने विभाग मे कार्यरत श्रीमती अनुराधा अग्रवाल के ऊपर यह आरोप लगाया कि वे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कर्मियों के प्रति दुर्भावना रखती हैं और जान बूझकर उन्हे प्रताड़ित करती हैं. इसी दुर्भावना से उन्होने अभ्यावेदक को निलंबित किया है. उन्होने आगे यह भी बताया कि उनके साथ भेदभाव और अन्याय-उत्पीड़न किया जाता है.

10. आयोग ने उपस्थित अधिकारियों से इस विषय में जानना चाहा. ऑल इंडिया रेडियो के अधिकारी एडीजी (ए), और एडीजी ने आयोग को अवगत कराया कि इस अभ्यावेदक और उक्त कर्मी के साथ विगत दिनों बैठने की व्यवस्था को लेकर बहस हुई थी और अभ्यावेदक ने अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ असम्मानजनक व्यवहार किया था. इस संदर्भ मे एक प्राथमिक जांच कमिटी गठित की गई और इसकी रिपोर्ट के आधार पर अभ्यावेदक को जुलाई मे चार्जशीट किया गया था. उन्होने आयोग को अवगत कराया कि अभ्यावेदक का आचरण महिला सहकर्मियों

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

के साथ शालीन और उचित नही रहता है। उनके खिलाफ विभाग मे काफी शिकायतें मिलती रही हैं.

11. आयोग ने संबन्धित अधिकारियों से यह जानना चाहा कि निलंबन आदेश प्रति तीन माह मे रिव्यू किया जाना चाहिए जबकि इस मामले मे इस नियम की अवहेलना की गई है ऐसा प्रतीत होता है. आयोग यह जानना चाहता है कि जब चार्जशीट मिल गया है तब उसके बाद भी निलंबन लगातार क्यों बढ़ाया जा रहा है? साथ ही आयोग ने इस बात से भी हैरानी जताई कि जांच कार्य मे इतना विलंब क्यों हो रहा है. आयोग यह अनुशंसा करता है कि इस सम्बन्ध में मामले की जांच यथाशीघ्र सम्पन्न करें. साथ ही निलंबन का रिव्यू करते हुये इसकी रिपोर्ट से आयोग को अवगत कराया जाय. आयोग यह अनुशंसा करता है कि मामले मे नियमानुकूल उचित कार्यवाई करते हुये 15 दिन के अंदर आयोग को सूचित किया जाय.

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट- क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- PRM/1/2017/MINB 1/SEOTH/RU-III)

श्री पी. आर. मीणा, निदेशक (इ), आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के द्वारा गैरकानूनी तरीके से निलंबन करने और अन्याय के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 30.11.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री एस. के. राठो, संयुक्त सचिव
3. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
4. श्री डी.सी.कटोच, परामर्शी

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी

1. श्रीमती अंजू निगम, संयुक्त सचिव
2. श्रीमती हरचरण कौर, उप सचिव

ऑल इंडिया रेडियो के अधिकारी

1. श्री सत्यजीत मिश्रा, एडीजी (ए)
2. श्री शैलेन्द्र कुमार, एडीजी

अभ्यावेदक

1. श्री पी. आर. मीणा